# कार्यालय, नगर निगम, सहारनपुर

28 सितम्बर, 2017 ई0

सं0 199/सम्प0अनु0/न0नि0स0पुर–उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 की उपधारा (46) द्वारा प्रदत्त, अधिकारों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम, सहारनपुर नगर क्षेत्र में निम्न अनुसार निम्नलिखित सूची से सम्बन्धी व्यवसायों का नियंत्रण हेतु उपविधि लागू कराना है–

**1–संक्षिप्त नाम**–नकल/प्रतिलिपि शुल्क उपविधि, 2017।

**2–विस्तार**–समस्त नगर निगम क्षेत्र।

**3–प्रारम्भ की तिथि**–गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी तथा उक्त तिथि से पूर्व से लागू समस्त प्रचलित दरें निष्प्रभावी/प्रभाव शून्य हो जायेंगी।

**4–परिभाषायें**–किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर ये उपविधियां नगर निगम, सहारनपुर के सीमान्तर्गत विभिन्न 'नकल/प्रतिलिपि' में विनियमन हेतु उपविधियां कहलायेंगी।

**उपविधियां**–किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर ये उपविधियां नगर निगम, सहारनपुर के सीमान्तर्गत विभिन्न नकल/प्रतिलिपि' में विनियमन हेतु उपविधियां कहलायेंगी।

**नगर निगम**–नगर निगम से तात्पर्य नगर निगम, सहारनपुर से है।

**नगर निगम क्षेत्र**–शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र।

**5–अनुज्ञा**–

शुल्क वृद्धि–नगर निगम द्वारा प्रत्येक 02 वर्ष बाद विचार किया जायेगा किन्तु लागू शुल्क में कोई कमी शासन के आदेश के बिना नहीं की जा सकेगी–

| क्र0सं0 | मद का नाम | शुल्क प्रदाता | पुनरीक्षित दरें |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नकल शुल्क | व्यक्ति जो निगम की प्रमाणित नकल चाहता है | सामान्य रु0 50.00, तत्काल 500.00 |
| 2 | प्रतिलिपि शुल्क | व्यक्ति जो निगम के अभिलेखों की प्रतिलिपि चाहता है | रु0 10 प्रति पेज |
| 3 | नक्शों की नकल शुल्क | व्यक्ति जो निगम में जमा.भवनों/कालोनियों के नक्शे की नकल चाहता है | रु0 प्रति नक्शा 500.00 (सामान्य) रु0 1,000 (तत्काल) |

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, सहारनपुर।